

1 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 624 / 2011

न्यायालय— प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 624 / 2011 इ0फो0

संस्थापित दिनांक 09 / 08 / 2011

फाईलिंग नम्बर 230303003742011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—
मौ, जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

1. पातीराम पुत्र रतन सिंह कुशवाह उम्र 70साल
व्यवसाय खेती निवासी ग्राम रतवा, पुलिस थाना
मौ, जिला भिण्ड म0प्र0

.....अभियुक्त

(अपराध अंतर्गत धारा-429 भादस)
(राज्य द्वारा एडीपीओ-श्री प्रवीण सिकरवार।)
(आरोपी द्वारा अधिवक्ता-श्री एस0एस0तोमर उप0।)

::- निर्णय :-

(आज दिनांक 07.12.2016 को घोषित किया)

आरोपी पर दिनांक 05/07/11 को शाम लगभग 7:00बजे ग्राम रतवा थाना मौ में फरियादी मजबूतनाथ को सदोष हानि कारित करने के आशय से उसके ऊँट को कुल्हाड़ी मारकर उसका वध कर फरियादी मजबूतनाथ को नुकसान कारित कर रिष्टी कारित करने हेतु भादस की धारा 429 के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 05/07/11 को शाम लगभग 7:00बजे फरियादी मजबूत सिंह अपने ऊँट को चराने के लिये डांग में ले गया था। उसका ऊँट पातीराम कुशवाह के खेत में जाकर बैठ गया था इतने में ही आरोपी पातीराम अपने खेत पर आ गया था और पातीराम ने ऊँट के बाये पैर में पीछे से कुल्हाड़ी मारी थी जिससे उसके ऊँट का बाँया पैर पीछे से कट गया था और ऊँट वहां से घिसटकर पहाडियों पर ढला रह गया है ऊँट की उपयोगिता नष्ट हो गई है। मौके पर नत्थू व सेठी ने घटना देखी थी। फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना मौ में की गई थी फरियादी की रिपोर्ट पुलिस थाना मौ में आरोपी के विरुद्ध अपक0-144 / 11 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया एवं साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे। आरोपी को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचनापूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3. उक्त अनुसार आरोपी के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। आरोपी को आरोपित आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।

4. द0प्र0स0 की धारा313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ है :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 05/07/11 को शाम लगभग 7:00बजे ग्राम रतवा में फरियादी मजबूतनाथ को सदोष हानि व नुकसान कारित करने के आशय से उसके ऊँट में कुल्हाड़ी मारकर ऊँट का वध कर रिष्टी कारित की?

6. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी मजबूत सिंह आ0सा01,सेठीनाथ आ0सा02,नाथुनाथ आ0सा03,डॉ0आर0पी0शर्मा आ0सा04,ए0एस0आई शेषदेवभगत आ0सा05,एवं ए0एम0सिद्धकी आ0सा06 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी मजबूत सिंह आ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालीन कथन से 5-6 साल पहले शाम 7:00बजे की है उसका ऊँट पातीराम के खेत में जा बैठा था पातीराम ने उसके ऊँट के पैर में कुल्हाड़ी मारी थी जिससे उसके ऊँट को चोट आई थी और ऊँट वहां से घिसटकर पहाड़ी पर खत्म हो गया था। जब वह लोग थाने जा रहे थे तो पातीराम ने उसे रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दी थी इसलिये वह सुबह रिपोर्ट करने थाना मौ गया था रिपोर्ट प्र0पी01 है जिस पर उसने अपना निशानी अंगूठा लगाया था। नक्शा मौका प्र0पी02 है जिस पर उसने अपना निशानी अंगूठा लगाया था। प्रतिपरीक्षण के पद क्र02 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि ऊँट उसका स्वयं का था उसने ऊँट मिटटी ले जाने के लिये आठ साल पहले खरीदा था ऊँट मिटटी ढोने का काम करता था। पद क्र03 में उक्त साक्षी का कहना है कि उसका ऊँट जंगल में चरने के लिये गया था वह ऊँट को स्वयं चराने के लिये ले गया था। पद क्र05 में उक्त साक्षी का कहना है कि वह घटना के दूसरे दिन रिपोर्ट करने गया था रतवा से थाना मौ की दूरी 9 किलो मीटर है वह रिपोर्ट करने पैदल गया था।

8. साक्षी सेठीनाथ आ0सा02 एवं नाथुनाथ आ0सा03 ने भी फरियादी मजबूत सिंह आ0सा01 के कथनों का समर्थन किया है एवं पातीराम द्वारा ऊँट के कुल्हाड़ी मारने बाबत प्रकटीकरण किया है।

09. डॉ0आर0पी0शर्मा आ0सा04 ने ऊँट की चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र0पी03 एवं शवपरीक्षण रिपोर्ट प्र0पी04 को प्रमाणित किया है। ए0एस0आई शेषदेव भगत आ0सा05 ने प्र0पी01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रमाणित किया है एवं विवेचक ए0एम0सिद्धकी आ0सा06 ने विवेचना को प्रमाणित किया है।

10. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

11. सर्वप्रथम न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या घटना दिनांक को फरियादी मजबूत सिंह के ऊँट के शरीर पर धारदार आयुध से उपहति कारित हुई थी? उक्त संबंध में डॉ०आर०पी०शर्मा आ०सा००४ ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसने दिनांक 06/07/11 को पशु चिकित्सालय मौ में लाल कलर के ऊँट जिसके मालिक का नाम मजबूत सिंह था का चिकित्सकीय परीक्षण किया था। परीक्षण के दौरान उसने ऊँट के आगे की टांग में करीब 02 इंच का घाव पाया था ऊँट को चलने में परेशानी हो रही थी घाव ताजा था एवं धारदार तथा बौथरी वस्तु से आना प्रतीत हो रहा था उसकी चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र०पी००३ है जिसके ऐसे भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने दिनांक 23/07/11 को उसी ऊँट का शव परीक्षण किया था ऊँट का घाव सड़ गया था ऊँट की मृत्यु का कारण ऊँट के पैर के घाव से गैंगरीन हो जाना था गैंगरीन से रक्त खराब हो जाने के कारण ऊँट की मृत्यु हो गई थी ऊँट की शव परीक्षण रिपोर्ट प्र०पी००४ है जिसके ऐसे भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क्र००५ में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि यदि ऊँट का उचित इलाज होता तो उसके गैंगरीन नहीं होता।

12. इस प्रकार डॉ०आर०पी०शर्मा आ०सा००४ के कथनों से यह दर्शित है कि उसने दिनांक 06/07/11 को मजबूत सिंह के ऊँट के पैर की चोट का परीक्षण किया था एवं परीक्षण के दौरान उसने पाया था कि ऊँट के पैर की चोट धारदार एवं मौथरे हथियार से आई थी तथा ऊँट का घाव ताजा था। उक्त साक्षी के कथनों से यह भी दर्शित है कि उक्त चोट के कारण ही गैंगरीन हो जाने से दिनांक 23/07/11 को ऊँट की मृत्यु हो गई थी। बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा उक्त साक्षी का पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कथन तात्विक विसंगतियों से परे रहा है।

13. फरियादी मजबूत सिंह आ०सा००१ ने भी अपने कथन में यह बताया है कि ऊँट के पैर में कुल्हाड़ी लग गई थी जिससे ऊँट खत्म हो गया था। साक्षी सेठीनाथ आ०सा००२ एवं नाथूनाथ आ०सा००३ ने भी ऊँट की मृत्यु उसके पैर में कुल्हाड़ी लगने से आई चोट के कारण होना बताया है। डॉ०आर०पी०शर्मा आ०सा००४ ने भी दिनांक 06/07/11 को ऊँट के पैर की चोट का परीक्षण करना तथा ऊँट के पैर में धारदार तथा बौथरे आयुध से चोट आना बताया है तथा यह भी बताया है कि उक्त चोट के बिगड़ जाने के कारण ही ऊँट की मृत्यु हो गई थी। बचाव पक्ष की ओर से इन तथ्यों के खण्डन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः उक्त बिन्दु पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि घटना दिनांक को ऊँट के पैर में धारदार आयुध से चोट आई थी एवं यह भी प्रमाणित है कि उक्त चोट के सड़ जाने के कारण ही ऊँट की मृत्यु हो गई थी।

14. अब मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या ऊँट को उक्त चोट पातीराम द्वारा फरियादी को सदोष हानि कारित करने के आशय से कारित की गई थी। उक्त संबंध में फरियादी मजबूत सिंह आ०सा००१ ने अपने कथन में यह बताया है कि घटना वाले दिन उसका ऊँट आरोपी पातीराम के खेत में जाकर बैठ गया था तो पातीराम ने उसके ऊँट के पैर में कुल्हाड़ी मारी दी थी जिससे उसके ऊँट के पैर में चोट आ गई थी एवं ऊँट वहाँ से घिसटकर पहाड़ी पर जाकर खत्म हो गया था। प्रतिपरीक्षण के दौरान

उक्त साक्षी ने यह बताया है कि उसका ऊँट मिटटी ढोने का कार्य करता था एवं उसने मिटटी ढोने के लिये ऊँट को आठ साल पहले खरीदा था। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसे घटना दिनांक के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो यहां यह उल्लेखनीय है कि घटना दिनांक 06/07/11 की है एवं फरियादी मजबूत सिंह के न्यायालय में कथन दिनांक 25/2/16 को हुये हैं। ऐसी स्थिति में समय का लम्बा अंतराल होने से उसे घटना दिनांक याद न होना स्वाभाविक है एवं मात्र उक्त कारण से अभियोजन घटना पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

15. साक्षी सेठीनाथ आ0सा02 ने भी अपने कथन में फरियादी मजबूत सिंह आ0सा01 के कथन का समर्थन किया है एवं व्यक्त किया है कि उसके न्यायालीन कथन से लगभग 6-7 साल पहले वह लकड़ी बीनने गया था उसके साथ नाथू भी था। शाम 7:00जे का समय था पातीराम ने मजबूत सिंह के ऊँट के बाँये पैर में कुल्हाड़ी मार दी थी। पातीराम भाग गया था मजबूत सिंह ने शाम को रिपोर्ट नहीं की थी सुबह रिपोर्ट की थी उक्त ऊँट मर गया था। प्रतिपरीक्षण के पद क्र03 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि वह डांग में ऊँट चराने अंदर चला गया था डांग से ही मजबूत सिंह का ऊँट गुम हो गया था। मजबूत सिंह उसके बाद ऊँट को ढूँढते रहे थे वह लोग अंदर लकड़ी बीनने चले गये थे। उसने एवं नाथू ने ऊँट को भागते हुये देखा था पद क्र04 में उक्त साक्षी ने कथन किया है कि उसने ऊँट के पास पातीराम कुशवाह को देखा था। घटनास्थल उसके अलावा पातीराम एवं नाथू थे उसने पातीराम को ऊँट को कुल्हाड़ी मारते हुये देखा था ऊँट पातीराम के खेत में लगे आम के पेड़ में चर रहा था शाम के 7:00बजे थे इसलिये वह घर चले गये थे और मजबूत सिंह को बता दिया था कि पातीराम ने तुम्हारे ऊँट को कुल्हाड़ी से मारा था।

16. इस प्रकार साक्षी सेठीनाथ आ0सा02 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि घटना वाले दिन वह मजबूत सिंह के साथ लकड़ी बीनने गया था तो डांग के अंदर मजबूत सिंह का ऊँट गायब हो गया था। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने पातीराम को ऊँट को कुल्हाड़ी मारते हुये देखा था तथा उसने उक्त बात मजबूत सिंह को जाकर बताई थी। इस प्रकार उक्त साक्षी के कथनों से यह आशयित है कि मजबूत सिंह ने स्वयं पातीराम को ऊँट को कुल्हाड़ी मारते हुये नहीं देखा था मजबूत सिंह को उक्त बात साक्षी सेठीनाथ ने बताई थी जबकि फरियादी मजबूत सिंह आ0सा01 ने कथन किया है कि उसने स्वयं पातीराम को उसके ऊँट के कुल्हाड़ी मारते हुये देखा था। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर फरियादी मजबूत सिंह आ0सा01 एवं साक्षी सेठीनाथ आ0सा02 के कथन परस्पर किंचित विरोधाभासी रहे हैं परन्तु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि फरियादी मजबूत सिंह आ0सा01 ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि उसने स्वयं आरोपी पातीराम को ऊँट को कुल्हाड़ी मारते हुये देखा था। फरियादी का यह कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान अखण्डित रहा है। ऐसी स्थिति में साक्षी सेठीनाथ आ0सा02 के कथनों के कारण फरियादी मजबूत सिंह आ0सा01 की अखण्डित रही साक्ष्य पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है एवं उक्त विरोधाभास से अभियोजन घटना पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

17. साक्षी नाथूनाथ आ0सा03 ने भी अपने कथन में फरियादी मजबूत सिंह आ0सा01 के कथन का समर्थन किया है एवं व्यक्त किया है कि घटना वाले दिन वह लकड़ी बीनने गया था तो पातीराम ने मजबूत सिंह के ऊँट के पैर में कुल्हाड़ी मार दी थी जिससे मजबूत सिंह का ऊँट खत्म हो गया था। उक्त साक्षी का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण

के दौरान उक्त साक्षी का कथन तुच्छे विसंगतियों को छोड़कर तात्विक विरोधाभाषों से परे रहा है।

18. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया है कि प्रकरण में फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट अत्यन्त विलंब से की गई है। अतः अभियोजन घटना संदेहास्पद हो जाती है। प्रकरण के अवलोकन से यह दर्शित है कि प्र०पी०१ की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटना दिनांक 05/07/11 को शाम 7:00 बजे की है एवं फरियादी द्वारा घटना की सूचना थाने पर दिनांक 06/07/11 को शाम 17:30 बजे दी गई है तथा फरियादी द्वारा प्र०पी०१ की प्रथम सूचना रिपोर्ट में विलंब का कारण रात्रि होना व साधन न होना बताया है। फरियादी मजबूत सिंह आ०सा०१ ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह बताया है कि जब वह रिपोर्ट करने जा रहा था तो पातीराम ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी इसलिये वह सुबह रिपोर्ट करने गया था परन्तु यह बात फरियादी मजबूत सिंह आ०सा०१ द्वारा प्र०पी०१ की रिपोर्ट में नहीं बताई गई है। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर फरियादी मजबूत सिंह आ०सा०१ के कथन प्र०पी०१ की प्रथम सूचना रिपोर्ट से किंचित विरोधाभाषी रहे हैं। फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट विलंब से घटना के दूसरे दिन शाम को की गई है। परन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से लिखाने के कारण अभियोजन घटना स्वतः ही संदेहास्पद नहीं हो जाती है। यद्यपि प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट लिखाने में विलंब कारित किया गया है परन्तु आरोपी की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह दर्शित होता हो कि फरियादी द्वारा पूर्ण विचार विमर्श के बाद आरोपी को मिथ्या अपराध में संलिप्त किया गया है। ऐसी स्थिति में मात्र प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से किये जाने के कारण अभियोजन घटना पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

19. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि फरियादी द्वारा आरोपी को रंजिशन मिथ्या अपराध में संलिप्त किया गया है। यदि तर्क के लिये यह मान भी लिया जाये कि आरोपी एवं फरियादी के मध्य पूर्व से रंजिश विद्यमान थी तो भी रंजिश एक ऐसी दुधारी तलवार है जिसका प्रयोग दोनों तरफ से किया जा सकता है यदि रंजिश के कारण फरियादी द्वारा आरोपी को मिथ्या अपराध में संलिप्त किया जा सकता है तो रंजिश के कारण ही फरियादी को नुकसान कारित करने के आशय से आरोपी द्वारा फरियादी को रिष्टी भी कारित की जा सकती है। अतः मात्र रंजिश के आधार पर आरोपी को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

20. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि ऊँट पहले से ही घायल था एवं फरियादी ने स्वयं ऊँट का उचित इलाज नहीं कराया था। इस कारण ऊँट की मृत्यु हो गई थी। परन्तु बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह दर्शित होता हो कि ऊँट पूर्व से ही घायल था एवं आरोपी द्वारा ऊँट को कोई चोट नहीं पहुँचाई गई थी। उक्त संबंध में बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षण के दौरान फरियादी मजबूत सिंह को सुझाव भी दिया गया था जिसे फरियादी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त डॉ०आर०पी०शर्मा आ०सा००४ ने भी अपने कथन में बताया है कि उसने मजबूत सिंह के ऊँट का दिनांक 06/07/11 को चिकित्सकीय परीक्षण किया था एवं परीक्षण के दौरान उसने ऊँट के पैर में दो इंच गहरा घाव पाया था जो धारदार और बौथरी वस्तु से आना संभावित था एवं उक्त घाव ताजा था। इस प्रकार डॉ०आर०पी०शर्मा आ०सा००४ के कथनों से भी यही दर्शित होता है कि उसने ऊँट के शरीर में केवल एक ही घाव पाया था जो कि ताजा था एवं पैर के अतिरिक्त ऊँट के अन्य कहीं कोई चोट नहीं थी। यद्यपि डॉ०आर०पी०शर्मा आ०सा००४ के कथनों से यह भी दर्शित है कि उसने ऊँट के मालिक को ऊँट के उचित इलाज की सलाह

दी थी तथा इलाज के अभाव में ऊँट का घाव बिगड़ गया था एवं उसकी मृत्यु हो गई थी। यद्यपि फरियादी द्वारा ऊँट के इलाज में असावधानी बरती गई थी परन्तु इस कारण से आरोपी का आपराधिक दायित्व कम नहीं हो जाता है एवं उक्त आधार पर आरोपी को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

21. फरियादी मजबूत सिंह आ0सा01 ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि उसका ऊँट पातीराम के खेत में जाकर बैठ गया था इस कारण पातीराम ने उसके ऊँट के पैर में कुल्हाड़ी मार दी थी जिससे ऊँट के चोट आ गई थी एवं ऊँट खत्म हो गया था। फरियादी के उक्त कथन का समर्थन साक्षी सेठीनाथ आ0सा02 एवं नाथूनाथ आ0सा03 द्वारा भी किया गया है। बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा उक्त सभी साक्षीगण का पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त सभी साक्षीगण के कथन तुच्छ विसंगतियों को छोड़कर तात्विक विरोधाभाषों से परे रहे हैं। फरियादी मजबूत सिंह आ0सा01 के कथन तात्विक बिन्दुओं पर प्र0पी01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से भी पुष्ट रहे हैं। फरियादी के कथनों की पुष्टि चिकित्सकीय साक्ष्य से भी हो रही है। विवेचक ए0एम0सिद्धकी आ0सा06 द्वारा भी आरोपी से कुल्हाड़ी जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी05 बनाया गया है। आरोपी की ओर से उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में फरियादी की अखण्डित रही साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है। फरियादी मजबूत सिंह आ0सा01 द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि उसने ऊँट को आठ साल पहले मिट्टी ढोने के लिये खरीदा था तथा वह ऊँट से मिट्टी ढोने का कार्य करता था। फरियादी के उक्त कथन से दर्शित है कि ऊँट फरियादी ने मिट्टी ढोने के लिये खरीदा था एवं उक्त ऊँट फरियादी के लिये उपयोगी था तथा आरोपी ने ऊँट को कुल्हाड़ी मारकर उसका वध कारित कर फरियादी को नुकसान कारित कर रिष्टी कारित की है।

22. फलतः उपरोक्त चरणों में की गई समग्र विवेचना से अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 05/07/11 को शाम लगभग 7:00 बजे ग्राम रतवा में फरियादी मजबूत सिंह को सदोष हानि कारित करने के आशय से उसके ऊँट में कुल्हाड़ी मारकर उसका वध कारित कर फरियादी मजबूत सिंह को रिष्टी कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपी पातीराम को भादस की धारा 429 के आरोप में सिद्धदोष पाते हुये दोषसिद्ध करती है।

23. सजा के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय लिखाया जाना अस्थाई रूप से स्थगित किया गया।

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

जिला भिण्ड म0प्र0

पुनश्च—

24. आरोपी एवं उसके विद्वान अधिवक्ता को सजा के प्रश्न पर सुना गया आरोपी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया कि आरोपी का यह प्रथम अपराध है। अतः आरोपी को परिवीक्षा का लाभ दिया जावे।

25. आरोपी के अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया गया प्रकरण का अवलोकन किया गया प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि अभियोजन द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोई पूर्व

7 आपराधिक प्रकरण कमांक 624/2011

दोषसिद्धि अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है परन्तु आरोपी द्वारा जिस तरह से फरियादी के ऊँट का वध कर रिष्टी कारित की गई है उन परिस्थितियों में आरोपी को परीवीक्षा पर छोड़ जाना उचित नहीं है। आरोपी को शिक्षाप्रद दंड से दंडित किया जाना आवश्यक है। फलतः यह आरोपी पातीराम को भादस की धारा 429 के अंतर्गत 06 माह के सश्रम कारावास एवं 2000/-रुपये के अर्थदंड तथा अर्थदंड की राशि में व्यतिक्रम होने पर एक माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास के दण्ड से दंडित करती है।

26. आरोपी द्वारा अर्थदंड की राशि अदा किये जाने पर द0प्र0स0 की धारा 357 (3) के अंतर्गत फरियादी मजबूत सिंह को 1000/- रुपये प्रतिकर के रूप में अपील अवधि पश्चात दिये जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

27. आरोपी पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते हैं।

28. प्रकरण में जप्तशुदा कुल्हाड़ी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात तोड़तोड़ कर नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

29. आरोपी जितनी अवधि के लिये न्यायिक निरोध में रहा है उसके संबंध में धारा 428 के अंतर्गत ज्ञापन तैयार किया जावे। आरोपी द्वारा न्यायिक निरोध में बिताई गई अवधि उसकी सारवान सजा में समायोजित की जावे। आरोपी इस प्रकरण में न्यायिक निरोध में नहीं रहा है।

30. तदनुसार सजा वारंट बनाया जावे।

स्थान – गोहद

दिनांक – 07/12/2016

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

सही/-

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही/-

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

जानकारी हेतु प्र
क उपयोग